GCMS ID- 2020/00079

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

आरिफ खान पुत्र मुंशी खान निवासी इस्लाम कॉलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद हिण्डौन – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 33/2020 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु. 31.08.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.08.2020	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद हिण्डौन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने/उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक–अंकित नहीं, को प्रेषित कर लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद हिण्डौन से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ ना तो आवेदन शुल्क दिये जाने का सबूत संलग्न किया गया है और न ही आवेदन पत्र के लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद हिण्डौन को भेजे जाने संबंधी अथवा कार्यालय में प्राप्ति की रसीद संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद हिण्डौन के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी चाहे तो संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में प्रथम अपील दायर कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:36:35 IST
Reason: SelfAttested